13/02/25
पेश हुई। वकीलों
R.O. सा० राज्य
की ओर से जनरल
की पालना
में पेश हो।
24/03/25

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उप० तामी
प्रार्थीगण वर्ये Reg Ad नोटिस की जाकर
पत्रावली दिनांक 24/03/25 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

03/25
पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य
R.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त
जनरल तारीख पेशी हो गई गत
पालना में दिनांक 4/4/25
हो।

हस्ताक्षर रीडर

पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप० तामी
वर्ये Reg Ad नोटिस की जाकर
दिनांक 1/04/25 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य
R.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त
जनरल तारीख पेशी हो गई गत
पालना में दिनांक 30/04/25
हो।

हस्ताक्षर रीडर

वकील प्रार्थीगण उप० तामी
Reg Ad नोटिस की जाकर पत्रावली
को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य
R.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त
होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत
पालना की पालना में दिनांक 02/05/25
को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

02/05/25
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप० तामी अप्रतिनिधि
वर्ये Reg Ad नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक
25/07/2025 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

25/07/25
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप० तामी अप्रतिनिधि
तामील पत्रावली दिनांक 28/07/25 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

28/07/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०।
दावा पत्रावली में प्रतिवादी सं. 01 व 02
के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है।
प्रतिवादी सं. 03 की ओर से दावा पत्रावली
में प्रारम्भ आदेश 7 नियम 11 का पेश हो
चुका है। प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा पर
बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया
गया। प्रार्थी का कथन है कि वादीगण की
कृषि भूमि व रिहायशी आबादी पूर्व में बांदीकुई
जागीर में स्थित रही है जो वार्ड नं. 32 नगरपालिका
बांदीकुई के अंतर्गत है। वादीगण के पिता स्व०
श्री कानाराम पुत्र स्व० बिषन्या जाति माली
निवासी बांदीकुई वर्तमान में वार्ड नं. 32, नगर-
पालिका बांदीकुई की अन्य कृषि भूमियों के अलावा
वादीगण के निवास स्थान, रिहायशी आबादी
से कुछ दूरी पर ग्राम बांदीकुई जागीर में उनकी
खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि रकबा
नं. 120 रकबा 10 बिस्वा बारानी ए व 43।

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रकबा एक बीघा 9 बिस्वा बाराजी व स्थित चली आ रही है। राजस्व कु अभिलेख जमाबंदी में सम्वत 2012 के पूर्व से मौरूस का पिता लगातार खतिदार कृषक दर्ज चला आता रहा है। जिसका लगान वादीगण के पि जब तक जीवित था, अदा करता रहा एवं उनकी मृत्यु के पश्चात दिनांक 18/06/1997 को वादी ने ने राज्य सरकार को जरिये रसीद अदा किया है। गत कु प्रबन्ध सम्वत 2052 से 2070 में अरीक आराजी भूमि ख० नं. 120 रकबा दस बिस्वा के नवीन ख० नं. 180 रकबा 0.10 है० एवं 181 रक 0.03 है० तथा जमाबंदी सम्वत 2034 से 203 के अनुसार ख० नं. 431 के दो भाग करके ख नम्बर 431/1 रकबा एक बीघा 8 बिस्वा एवं नवी ख० नं. 283 रकबा 0.35 है० एवं 431/2 रक एक बिस्वा के नवीन कायम ख० नं. 186/1 रकबा 0.67 में सम्मिलित/समाहित कर दिया ग है। उपरोक्त आराजीयात का खतेदार कृषक वादि का पिता चला आता रहा है जो निरन्तर सम्वत 2034 से 2037 की जमाबंदी में बतौर खतिदार दर्ज चला आता रहा है। वादीगण के पिता कमलदे लिखे थे, दस्तखत करना ही जानते थे। वादीगण पिता कानाराम की मृत्यु हो जाने बाद बिना जानक बिना नोटिस व बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना विधिवत अवार्ड की कार्यवाही किये बिना कोई मुआवजा दिये बिना ही चुपचुप तरीके से वादीगण की खतेदारी में दर्ज भूमि ख० नं. 431 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा की खतेदारी में से वादीग का नाम जरिये नामान्तकरण सं. 428 दिनांक 08/07 को पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर पंचा समिति बांदीकुई के नाम अवैध रूप से नामान्त दर्ज कर दिया जो प्रारम्भ से ही कानूनन शून्य व बेअसर है। इस बाबत वादीगण ने अपने अधिवक्ता अरुण कुमार से अप्रार्थीगण को विधिक नोटिस जारी करवाये जिसका जवाब पेश नहीं किया, अप्रा सं. 03 ने भूमि खाली नहीं करने की बात कहीउ जेल में बंद करवाने की धमकी दी गई। इसलिये अप्रार्थीगण को भूमि वादग्रस्त को खुद-बुद न करने से अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करमाया जावे। प्राईमा फैसाई केस सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त बमुकाबले अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी प्रमाणित होता है। अप्रार्थीगण का जवाब पेश नहीं हुआ। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरणों का निर्णय 03 बिन्दुओं निम्नांकि

Scanned with OKEN Scanner

APP
Crll

4 -2000-10 स्याही का.

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

कलेक्टर ... पुकाम ... बांदीकुई

नाथूलाल बनाम राजसरकार

पी-१४-२२ नं० 126 सन् 2024

हुक्म या कार्यवाही मय इमिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के आधार पर किया जाता है :-

1. प्रथम दृष्टया मामला (Prima Facie Case)
2. अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त
3. सुविधा की तुला का संतुलन

1. प्रथम दृष्टया मामला

प्रार्थीगण जमाबंदी सम्वत् 2034-37, सम्वत् 2030, सम्वत् 2026, जमाबंदी सम्वत् 2012-15, नामान्तकरण सं. 428 दिनांक 09/12/1978, सम्वत् 2043-46 मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 1952-71 पेश किये है, जो वाद पत्रावली मे शामिल है, उक्त इन्द्राजों के आधार पर वादग्रस्त भूमि में खातेदारी चाहते है। वर्तमान जमाबंदी खाता सं नया 182 पुराना 178 के आधार पर वादग्रस्त भूमि पंचायत समिति बांडीकुई के नाम दर्ज है उद्घोषणा के दावे का निर्णय पर्याप्त साक्ष्य/सबूतो के आधार पर किया जाना है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पंचायत समिति बांडीकुई के नाम दर्ज है, इसलिये किसी खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपना कब्जा भी साबित नहीं किया है इसलिये प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

2. अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त एवं सुविधा की तुला का संतुलन :-

उक्त दोनों बिन्दुओं का विवेचन सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरणो में

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही एवं इनिशियल्स जज

प्रथम दृष्टया मामला यदि प्रार्थी या अप्रार्थी है उपने पक्ष में किसी एक साबित करता है उक्त दोनों बिन्दु भी उसी के पक्ष में साबि होते है। उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया मा प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित नहीं कर पाये है, इसलिये उक्त दोनों बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थ द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है। मेरे द्वारा आज दिनांक 28/07/2025 को आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल होकर मूलवाद के संलग्न रहे।

(रामसिंह रावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (राज.)